

कायालय प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, झांसी।

पत्रांक : /आदेश/स्टेनो/2024-25,

दिनांक : 30 सितम्बर, 2024

कार्यालय आदेश

महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण तथा लैंगिक उत्पीड़न के परिवादों के निवारण तथा प्रतिरोषण अधिनियम, 2013 (POSH ACT 2013) के नियम-4 के अन्तर्गत कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या एम०ई०-1/2024/2492-94, दिनांक 26 सितम्बर, 2024 एवं शासनादेश संख्या-128/2024/202/71-1-2024 दिनांक 10 अगस्त, 2024 में दिए गये निर्देशों के अनुपालन में तत्कालिक प्रभाव से 03 वर्ष की अवधि के लिए इस चिकित्सा महाविद्यालय में आन्तरिक परिवाद/शिकायत समिति का निम्नलिखितानुसार पुर्नगठन किया जाता है-

क्रम सं०	नाम एवं पदनाम	पद	दूरभाष नं०
1	डा० हेमा जे० शोभने, आचार्य, ऑब्स एवं गायत्री विभाग	पीठासीन अधिकारी	9473826453
2	डा० पल्लवी अग्रवाल, आचार्य, पैथोलॉजी विभाग	संयोजक	9936929094
3	डा० रजनी गौतम, सह आचार्य, ऑब्स एवं गायत्री विभाग	सदस्य	9889313155
4	डा० शिवाली पाण्डेय, सह आचार्य, एनेस्थीसिया विभाग	सदस्य	8765313095
5	डा० अलका सेठी, अध्यक्ष, इनर व्हील क्लब (समाज सेवा संस्था)	सदस्य	9956032064
6	डा० सचिन माहुर, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज झांसी	सदस्य	9935907477
7	डा० नीरज श्रीवास्तव, आचार्य चर्मरोग विभाग,	सदस्य	9451895464
8	डा० प्रभाकर सिंह बैस, सह आचार्य, बायोकेमिस्ट्री विभाग,	सदस्य	7818885265

प्रधानाचार्य,
मेडिकल कॉलेज, झांसी।

संख्या : 475/आदेश/स्टेनो/2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- उप प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय, झांसी।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष, मेडिकल कॉलेज झांसी।
- 3- समिति के उपरोक्त सभी सदस्यों को सूचनार्थ।
- 4- प्रभारी अधिकारी, नेशनल मेडिकल कमीशन, मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय, झांसी।
- 5- समस्त छात्रावासों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- 6- आदेश पुस्तिका।

प्रधानाचार्य,
मेडिकल कॉलेज, झांसी।